"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल 2007—चैत्र 12, शक 1929

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक /पांच (8).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतएव, छत्तीसगढ़ वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नियोजन में के ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी रुपये 3,50,000 से अधिक नहीं है, को 01-4-2007 की प्रभावशीलता से उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधानों के क्रियान्वयन से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (8).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (8), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (8).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government hereby exempts the persons in employment whose annual salary or wage does not exceed Rs. 3,50,000 from the operation of all the provisions of the said Adhiniyam with effect from 01-04-2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (9).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

अनुक्रमांक 54 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाए :-

अ. क्र.	माल का वर्णन	शर्त तथा अपवाद, जिनके अध्यधीन रहते छूट दी गई है
(1)	(2)	(3)
55	मच्छरदानी	
56	हस्त निर्मित साबुन	
57	स्प्रिंकलर एवं ड्रीप सिस्टम तथा इनके स्पेयर पार्ट्स	

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (9).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (9), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (9).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in Schedule-I of the said act :-

AMENDMENT

After serial No. 54 the following entries shall be added :-

S. No. (1)	Description of goods (2)	Condition and exception subject to which exemption has been allowed (3)
55	Mosquito net	
56	Hand made soap	
57	Sprinkler and drip system and spare parts thereof	

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (10).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-2 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

अनुक्रमांक 124 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाए :-

अ. क्र. (1)	विवरण (2)	धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत) (3)
125	मेंहदी	4
126	प्लास्टिक कंघी	4

(1)	(2)	(3)
127	नेल पॉलिष जिसका विक्रय मूल्य रु. दस के अधिक न हो	4
128	काम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लेम्पस्	4
129	आडियो कैसेट	4
130	बारबेड वायर	4
131	सीमेंट कांक्रीट पोल	4

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (10), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (10).—In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in part-II of Schedule-II of the said act :-

AMENDMENT

After serial No. 124 the following entries shall be added :-

S. No. (1)	Description (2)	Rate of tax u/s. 8 (percent) (3)
125	Mehandi	4
126	Plastic Comb	4
127	Nail Polish the selling price of which does not exceed rupees ten	4
128	Compact Fluorescent Lamps	4
129	Audio Cassette	4
130	Barbed Wire	4
131	Cement Concrete Pole	4

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (11).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2006/वाक/पांच (16) दिनांक 30-03-2006 में निम्न संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 109 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाय-

110 सूखा मेवा

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (11), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (11).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. F 10-28/2006/CT/V (16) dated 30-03-2006 :-

AMENDMENT

In Schedule to the said notification after S. No. 109 the following entry shall be added-

110 Dry fruits

2. This amendment shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (12).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, पंजीयत व्यापारियों के वर्ग को जो अनुसूची-3 के अनुक्रमांक (3) में विनिर्दिष्ट "सेकेण्ड हेंड पूंजीगत माल" व्यवसाय के अनुक्रम में पूंजीगत माल के रूप में उपयोग हेतु क्रय करता है, को अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आगत कर रिबेट की अनुज्ञा न दिये जाने के प्रावधानों से छूट प्रदान करती है.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (12), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (12).—In exercise of the powers conferred by section 15 B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of registered dealers who purchase "Second hand capital goods" as specified in S. No. 3 of schedule III for use as capital goods in the course of business from the provisions of non allowance of rebate of input tax under section 13 of the Act.

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (13).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 27 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-56/2006/वाक/पांच (45), दिनांक 28-4-2006 में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को "पूंजीगत माल" की सूची में जोड़ा जाता है, यथा,-

अनुसूची

अ. क्र.	वस्तु का नाम
(1)	(2)
26	अर्थ मूवींग, सड़क निर्माण, मेटेरियल हेंडलिंग तथा माईनिंग इक्यूपमेंट

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (13), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (13).—In Notification No. F-10/56/2006/CT/V (45) dated 28-04-2006 issued by the State Government in pursuance of the requirement under entry 27 of part II of Schedule-2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the goods specified in Schedule below are added as "Capital goods", namely.-

SCHEDULE

S. No.	Name of Goods
(1)	(2)
26	Earth moving, road constructions, material handling and mining equipments.

2. This Notification shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (14).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 60 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-56/2006/वाक/पांच (46), दिनांक 28-4-2006 में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को "औद्योगिक आगत" की सूची में जोड़ा जाता है, यथा,-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
78	जीपर तथा जीप फास्टनर

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (14), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (14).—In Notification No. F-10/56/2006/CT/V (46) dated 28-04-2006 issued by the State Government in pursuance of the requirement under entry 60 of part II of Schedule-2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the goods specified in Schedule below are added as "Industrial Input", namely ,-

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Goods (2)
78	Zipper and zip fastener

2. This Notification shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (15).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,-

संशोधन

उक्त कथित नियमों में, नियम 8 के उपनियम (10) में अंक "8" के स्थान पर अंक "4" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. यह संशोधन 1-04-2007 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (15), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (15).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely,—

AMENDMENT

In the said rules, in sub-rule (10) of rule 8 for the figure "8" the figure "4" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force with effect from 1-04-2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (16).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में 1 अप्रैल, 2007 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,-

संशोधन

1. नियम 8 के उपनियम (5) के अंत में वाक्य "कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल किया जाएगा" जोड़ा जाए.

2. नियम 8 के उपनियम (10) के अंत में वाक्य "कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल किया जाएगा" जोड़ा जाए.

3. नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (क) के अंत में वाक्य "कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी" जोड़ा जाए.

4. नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अंत में वाक्य "कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरण इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल किया जाएगा" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक /पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक /पांच (16), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007.

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (16).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 with effect from 1st April, 2007, namely,—

AMENDMENT

1. At the end of sub-rule (5) of rule 8, the sentence "A company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall compulsorily file the statement electronically" shall be added.

2. At the end of sub-rule (10) of rule 8, the sentence "A company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall compulsorily file the statement electronically" shall be added.

3. At the end of clause (a) of sub-rule (2) of rule 20, the sentence "A company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall compulsorily file the return electronically" shall be added.

4. At the end of clause (b) of sub-rule (2) of rule 20, the sentence "A company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall compulsorily file the statement electronically" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक /पांच (17).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (3), (4) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में 1 अप्रैल, 2007 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,-

संशोधन

1. नियम 7-क के उपनियम (1) के अंत में वाक्य "कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी" जोड़ा जाए.

2. नियम 7-क के उपनियम (2) के अंत में वाक्य "कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा सूची इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फ़ाइल की जाएगी" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक /पांच (17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक /पांच (17), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (17).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules, 1957 with effect from 1st April, 2007, namely,—

AMENDMENT

1. At the end of sub-rule (1) of rule 7-A, the sentence "A company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall compulsorily file the return electronically" shall be added.

2. At the end of sub-rule (2) of rule 7-A, the sentence "A company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall compulsorily file the list electronically" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (18).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में 1 अप्रैल, 2007 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,-

संशोधन

नियम 8 के उपनियम (1) के अंत में वाक्य "कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यत: फाइल की जाएगी" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2007/वाक/पांच (18), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-28/2007/CT/V (18).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976 with effect from 1st April, 2007, namely,—

AMENDMENT

At the end of sub-rule (1) of rule 8, the sentence "A company formed and registered under The Companies Act, 1956 shall compulsorily file the return electronically" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-29/2007/वाक/पांच (19).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पीतल, तांबा तथा कांसे की चद्दरें और सर्कल एवं एल्यूमिनियम स्क्रेप से निर्मित चद्दरें तथा सर्कल.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
2.	जूट बेग्स	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
3.	लोहा की चद्दरें	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
4.	एल्यूमिनियम से बने थर्माइट फ्लक्स (एल्यूमिनियम पाउडर) वायर्स, केबल्स, स्ट्रीप्स, वाइडिंग वायर, फॉइल, कन्डक्टर्स और एक्सटुंडेड सेक्शन्स.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	
5.	खाद्य तेल एवं खली	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	
6.	सायकल के पुर्जे	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
7.	अर्थ मूविंग, सड़क निर्माण, सामग्री हस्तन तथा खनन उपकरण.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	
8.	इन्गॉट्स, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) की श्रेणी (दो) में वर्णित है.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	

(1)	(2)	(3)	(6)
9.	तैयार वस्त्र	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
10.	जूट कपड़ा एवं जूट रस्सी	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
11.	केमिकल्स	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान एक करोड़ रुपये से अधिक न हो, द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो.
12.	ट्रांसफार्मर	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो.
13.	पैकेट चाय	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	जब पंजीकृत व्यवसायी, जो राज्य में स्थित एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान एक करोड़ रुपए से अधिक न हो एवं छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग विभाग में पंजीयत हो, द्वारा प्रसंस्करण/ब्लेंडिंग पश्चात् बेची जाए.
14.	स्पंज आयरन	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	
15.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में वर्णित लोहा एवं इस्पात, हूप्स, स्ट्रीप्स, फीश प्लेट बार्स, बेयरिंग प्लेट बार्स एवं इनके छोर की कटिंग्स.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित रि-रोलिंग मिल द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो.
16.	एल्यूमिनियम के सभी उत्पाद-प्रायमरी और सेकण्डरी.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमि. कोरबा द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो.
17.	फेरो एलायज.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	
18.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (ग्यारह) में वर्णित स्टील पाईप.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित एवं विक्रित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-29/2007/वाक/पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-29/2007/वाक/पांच (19), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-29/2007/CT/V (19).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfilment of the requirements laid down in sub section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from 1st April, 2007 to 31st March, 2008 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule,-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sheets and circles of brass, copper and kansa and sheets and circles manufactured out of aluminium scrap.	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
2.	Jute bags	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
3.	Iron sheets	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
4.	Thermite flux (Aluminiyam powder) wires, cables, strips, winding wire, foil, conductors and extruded sections made of aluminiyam.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
5.	Edible oil and oil cake	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
6.	Cycle parts	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
7.	Earth moving, road constructions, material handling and mining equipments.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Ingots, as specified in category (ii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
9.	Redymade garments	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
10.	Jute cloth and jute twine	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
11.	Chemicals	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by a small enterprise situated in Chhattisgarh State, where the investment in plant and machinery does not exceed one crore rupees.
12.	Transformer	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When manufactured and sold by an industrial unit situated in Chhattisgarh State.
13.	Packet Tea	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When sold by a registered dealer after processing/blending, who is a small enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed one crore rupees and registered in industries department in Chhattisgarh State.
14.	Sponge Iron	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	
15.	Iron and steel as specified in categories (iv), (v) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, hoops, strips, fish plate bars, bearing plate bars and end cutting thereof.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by re-rolling mill situated in Chhattisgarh State.
16.	All products of Aluminium-primary and secondary.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by Bharat Aluminium Company Ltd. Korba.
17.	Ferro alloys.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	
18.	Steel tubes as specified in category (xi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by an industrial unit situated in Chhattisgarh State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-31/2007/वाक/पांच (20).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

अनुक्रमांक 57 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए :-

अ. क्र. (1)	माल का वर्णन (2)	शर्त तथा अपवाद, जिनके अध्यधीन रहते छूट दी गई है (3)
58	राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित शक्ति चलित कृषि उपकरण	

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-31/2007/वाक/पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2007/वाक/पांच (20), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-31/2007/CT/V (20).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in Schedule-I of the said act :-

AMENDMENT

After serial No. 57 the following entries shall be added :-

S. No. (1)	Description of goods (2)	Condition and exception subject to which exemption has been allowed (3)
57	Power operated agricultural implements as notified by the State Government.	

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-31/2007/वाक/पांच (21).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-एक की प्रविष्टि क्रमांक 58 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये "शक्ति चलित कृषि उपकरण" अधिसूचित करती है, यथा,-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का नाम (2)
1.	सभी प्रकार के थ्रेसर
2.	सभी प्रकार के लेबलर/स्क्रेपर
3.	सभी प्रकार के कल्टीवेटर
4.	सभी प्रकार के हल
5.	सभी प्रकार के मक्का शेलर
6.	सभी प्रकार के आलू/मक्का प्लांटर
7.	सभी प्रकार के आलू/मूंगफली डिगर
8.	सभी प्रकार के बीज सह उर्वरक बोनी यंत्र
9.	सभी प्रकार के रीपर
10.	सभी प्रकार के रोटावेटर
11.	सभी प्रकार के गन्ना कटर
12.	सभी प्रकार के गन्ना प्लांटर
13.	सभी प्रकार के पोस्ट होल डिगर
14.	सभी प्रकार के हैरो
15.	सभी प्रकार के बंड फार्मर
16.	सभी प्रकार के रीजर
17.	सभी प्रकार के केज व्हील
18.	सभी प्रकार के पैडी पडलर
19.	सभी प्रकार के चाप कटर
20.	सभी प्रकार के पावर टिलर
21.	सभी प्रकार के सीड ग्रेडर
22.	सभी प्रकार के हार्वेस्टर
23.	सभी प्रकार के सीड ग्रेडिंग मशीन एवं ऐसेसिरीस
24.	सभी प्रकार के पैडी ट्रांसप्लांटर
25.	सभी प्रकार के स्प्रेयर, डसटर तथा बीज/उर्वरक ब्राडकास्टर
26.	सभी प्रकार के उडावनी पंख
27.	सभी प्रकार के प्रूनिंग यंत्र
28.	सभी प्रकार के बेलर

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-31/2007/वाक/पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2007/वाक/पांच (21), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-31/2007/CT/V (21).—In pursuance of the requirement under entry 58 of Schedule I of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby notifies the goods specified in Schedule below as "Power operated agricultural implements" for the purpose of the said entry, namely,-

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of goods (2)
1.	All types of Thrasher
2.	All types of Levellers/Scrapers
3.	All types of Cultivator
4.	All types of Plough
5.	All types of Maize Sheller
6.	All types of Potato/Maize planter
7.	All types of Potato/Groundnut digger
8.	All types of Seed Drill/Seed cum fertilizer
9.	All types of Reaper
10.	All types of Rotavator
11.	All types of Sugarcane cutter
12.	All types of Sugarcane Planter
13.	All types of Post hole digger
14.	All types of Harrow
15.	All types of Bund farmer
16.	All types of Ridger
17.	All types of Cage wheel
18.	All types of Paddy puddler
19.	All types of Chaff cutter
20.	All types of Power tiller
21.	All types of Seed grader
22.	All types of Harvestor
23.	All types of Seed Grader Machine & Accessories
24.	All types of Paddy Transplanter
25.	All types of Sprayers, dusters and seed/fertilizer broad costars
26.	All types of Winnowers
27.	All types of Pruning equipment
28.	All types of Bailer

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

अधिसूचना।

क्रमांक एफ 10-33/2007/वाक/पांच (24).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शायी गई वस्तुओं की श्रेणी को कालम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कालम (4) में दर्शायी गई शर्तों एवं निर्बन्धनों के अंतर्गत दिनांक 01-04-2007 से 31-03-2008 तक के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	नारियल	सम्पूर्ण कर	
2.	सिलाई मशीन	सम्पूर्ण कर	
3.	आटा, मैदा, सूजी तथा चोकर	सम्पूर्ण कर	
4.	छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी उद्योग द्वारा निर्मित माल, किंतु कोयला तथा लौह अयस्क को छोड़कर.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान एक करोड़ रुपए से अधिक न हो, द्वारा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
5.	अनुसूची-2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट माल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में अगरबत्ती निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
6.	पेट्रोल, डीजल आयल, एवीएशन स्प्रीट तथा एवीएशन टरबाईन फ्यूल.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा विक्रय के लिए प्रवेश कराया गया हो.
7.	पेट्रोल, डीजल आयल, फर्नेस आयल, एवीएशन स्पिरिट, एवीएशन टरबाईन फ्यूल तथा फायर ब्रिक्स.	सम्पूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत किसी अन्य व्यवसाई से स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के लिए क्रय किया गया हो.
8.	कम्प्यूटर, कम्प्यूटर पार्ट्स तथा एसेसरीज	सम्पूर्ण कर	
9.	तैयार वस्त्र, तैयार सूती होजयरी, बुने हुए सूती वस्त्र तथा तैयार नायलोन होजयरी.	सम्पूर्ण कर	
10.	सभी प्रकार के मोटर वाहन	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा विक्रय के लिए प्रवेश कराया गया हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	अनुसूची-2 की प्रविष्टि 8 में विनिर्दिष्ट सभी प्रकार का कपड़ा.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1% हो जाय.	
12.	केन बास्केट, ड्रिल रॉड तथा पी. वी. सी. केसिंग पाईप.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1% हो जाय.	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत किसी अन्य व्यवसाई से स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के लिए क्रय किया गया हो.
13.	फ्लाई-ऐश	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराया गया हो.
14.	धान तथा चावल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराया गया हो.
15.	हेसियन क्लॉथ	सम्पूर्ण कर	
16.	कच्चा ऊन	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में, या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
17.	सभी प्रकार के मोटर वाहन के, ट्रेक्टर तथा ट्रेक्टर ट्रेलर्स के और पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के टायर, ट्यूब तथा फ्लेप.	सम्पूर्ण कर	
18.	ट्रेक्टर को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर वाहन के अतिरिक्त पुर्जे.	सम्पूर्ण कर	
19.	मक्का, कनकी, मछली, तेल, निकला हुआ कोंढ़ा, शेल ग्रीड, फीड सप्लीमेन्ट्स (दवाईयां) तथा खली.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में कुक्कुट पालकों द्वारा उनके कुक्कुट फार्म में उपभोग के लिए कुक्कुट आहार के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
20.	लुब्रीकेन्ट्स	सम्पूर्ण कर	
21.	चावल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विक्रय के लिए प्रवेश कराया गया हो.
22.	खुली चाय	सम्पूर्ण कर	

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में निर्मित न हो	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5% हो जाय.	
24.	जूट जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (V) में वर्णित है.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
25.	वनस्पति तथा खाद्य तेल	सम्पूर्ण कर	
26.	किराना सामान	सम्पूर्ण कर	
27.	बबूल बीज	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
28.	लाख	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
29.	उद्जनित वनस्पति तेल एवं घी	सम्पूर्ण कर	
30.	गुड़	सम्पूर्ण कर	
31.	राईस ब्रान	सम्पूर्ण कर	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित हो.
32.	अनुसूची-2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट माल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा फेरो एलायज के निर्माण में उपयोग के लिये प्रवेश कराया गया हो.
33.	शक्ति करघों पर विनिर्मित अप्रसंस्कृत कपड़ा	सम्पूर्ण कर	जबकि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उसका विनिर्माण किसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो तथा तत्पश्चात् प्रसंस्करण हेतु उसे किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में इस दृष्टि से प्रविष्ट किया गया हो कि जिससे प्रसंस्कृत कपड़ा प्राप्त किया जाय.
34.	सिल्क यार्न 22.00 डेनियर्स तक	सम्पूर्ण कर	
35.	सूती तथा ऊनी खादी का कपड़ा	सम्पूर्ण कर	
36.	अखबारी कागज	सम्पूर्ण कर	

(1)	(2)	(3)	(4)
37.	पका अन्न के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत ऐसे व्यवसायी द्वारा प्रवेश कराया गया.हो, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर के प्रशमन की अनुज्ञा दी गई हो.
38.	सोना तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के, बुलियन तथा स्पेसी सम्मिलित है.	सम्पूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा सोना तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के, बुलियन तथा स्पेसी सम्मिलित है, में संपरिवर्तन हेतु प्रवेश कराया जाय.
39.	टेलीविजन	सम्पूर्ण कर	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 10-33/2007/वाक/पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-33/2007/वाक/पांच (24), दिनांक 02-04-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd April 2007

NOTIFICATION

No. F 10-33/2007/CT/V (24).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from 01-04-2007 to 31-03-2008, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the schedule:-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restrictions and conditions (4)
1.	Coconut	Whole of tax.	
2.	Sewing machine	Whole of tax	
3.	Atta, maida, suji and wheat bran	Whole of tax	
4.	Goods manufactured by any industries situated in Chhattisgarh State, except coal and iron ore.	Whole of tax	When entered into a local area by a small enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed one crore rupees, for consumption or use as raw material in the process of manufacture.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Goods specified in Schedule-II and III.	Whole of tax	When entered into a local area for use or consumption as raw material in the manufacture of agarbatti.
6.	Petrol, diesel oil, aviation sprit and aviation turbine fuel.	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for sale.
7.	Petrol, diesel oil, furnace oil, aviation spirit, aviation turbine fuel and fire bricks.	Whole of tax	When purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from another registered dealer under the said Act for consumption or use in a local area.
8.	Computer, computer parts and accessories.	Whole of tax	
9.	Readymade garments, readymade cotton hosiery, cotton knitted garments and readymade nylon hosiery.	Whole of tax	
10.	All kinds of motor vehicles	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for sale.
11.	All varieties of cloth as specified in entry 8 of Schedule-II.	Partly so as to reduce the rate of tax to 1%.	
12.	Cane basket, drill rod and PVC casing pipe.	Partly so as to reduce the rate of tax to 1%.	When purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from another registered dealer under the said Act for consmption or use in a local area.
13.	Fly-ash	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from any local area within Chhattisgarh State.
14.	Paddy and rice	Whole of tax	When entered into a local area from any local area within Chhattisgarh State.
15.	Hessian cloth	Whole of tax	
16.	Raw wool	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use or consumption in the manufacture of goods for sale in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade on commerce or in the course of export out of the territory of India.
17.	Tyres, tubes and flaps of motor vehicles of all kinds, of tractor and trailers and of animal drawn vehicles.	Whole of tax	

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Spare parts of all kinds of motor vehicle including tractor.	Whole of tax	
19.	Maize, broken rice, fish, de-oiled rice bran, shell grid, feed supplements (Medicines) and de-oiled cake.	Whole of tax	When entered into a local area by poultry farmers for use as raw material in the manufacture of poultry feed for consumption in their poultry farm.
20.	Lubricants	Whole of tax	
21.	Rice	Whole of tax	When entered into a local area by Food Corporation of India for sale under public distribution system.
22.	Loose tea	Whole of tax	
23.	Hydrogenated vegetable oil not manufactured in India.	Partly so as to reduce the rate of tax to 0.5%.	
24.	Jute as specified in clause (v) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
25.	Vegetable and edible oil	Whole of tax	
26.	Kirana goods	Whole of tax	
27.	Babool seed	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
28.	Lakh	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
29.	Hydrogenated vegetable oil and Ghee.	Whole of tax	
30.	Jaggery	Whole of tax	
31.	Rice bran	Whole of tax	When the goods specified in column (2) is produced in Chhattisgarh State.
32.	Goods specified in Schedule-II and III.	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, for use in the manufacture of Ferro Alloys.
33.	Un-processed cloth manufactured in powerloom.	Whole of tax	When manufactured by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 in a local area and subsequently entered into another local area for processing so as to obtain processed cloth.
34.	Silk yarn upto 22.00 deniers	Whole of tax	
35.	Cotton and woolen khadi cloth	Whole of tax	

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	News print	Whole of tax	
37.	Raw material used in the manufacture of cooked-food.	Whole of tax	When entered into a local area by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 who has been granted permission for composition of tax under sub-section (2) of section 10 of the said Act.
38.	Articles of gold and silver including coins, bullion and specie.	Whole of tax	When entered into a local area by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for conversion into articles of gold and silver including coins, bullion and specie.
39.	Television	Whole of tax	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.